



नगर विकास न्यास, बीकानेर

क्रमांक :- नविन्यास/अधि.अभि III/2015-2016

दिनांक :- 08.07.2015

निविदा सूचना संख्या 05/III/2015-16

नगर विकास न्यास द्वारा सा.नि.वि. के संशोधित पंजीयन नियमों के अंतर्गत एवं राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प1 (147) नविनि/3/2008 की शर्तों को सम्मिलित करते हुए सक्षम श्रेणी के पंजीकृत संवेदकों से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 24.07.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 27.07.2015 दोपहर 3.00 तक प्राप्त की जाकर, उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित संवेदकों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा विक्रय/प्राप्ति दिनों को सार्वजनिक अवकाश होने पर आगमी कार्य दिवस को सम्पन्न होगी। निविदा हेतु आवेदन पत्र मुद्रित लेटर पैड पर आयकर/बिक्रीकर टिन नंबर अंकित होना अनिवार्य हैं। अनुबंध की निविदा सूचना की धारा 11 की शर्त लागू होगी। निविदा दरों की वैधता 4 माह तक ही रहेगी।

क्रसं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि 2% 1/2 %	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Installation & Fixing of 1.5 Ton split Air Conditor and remaning electrical work at Troma Center P.B.M.Hospital Bikaner. (Ex.En III)	6.50	13000 3250	1000/-	2 Month
2	न्यास क्वाटर गाँधी नगर-01 का मरम्मत कार्य (Ex.En IV)	5.20	10400 2600	1000/-	2 Month

नोट :- विस्तृत जानकारी न्यास की बेबसाईट www.uitbikaner.org, www.spppi.raj.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

1. अन्य विभागों से पंजीकृत "ए एवं एए" श्रेणी संवेदकों को ही निविदा विक्रय की जावेगी।
2. संबंधित खण्ड द्वारा निविदा विक्रय की जावेगी।
3. संवेदकों को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
4. निविदा शुल्क के साथ धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जमा करवानी अनिवार्य होगी।
5. संबंधित खण्ड में ही निविदा खोली जावेगी।
6. उक्त कार्य का अनुभव रखने वाले संवेदक को ही निविदा विक्रय की जावेगी।

अविशाषी अभियंता III
नगर विकास न्यास
बीकानेर

दिनांक :- 08.07.2015

क्रमांक :- नविन्यास/अधि-III/2015-16

प्रतिलिपि :- दैनिक भास्कर, नोटिसवार्ड 7861-63 28/7/2015

उपरोक्त निविदासूचना को.....कॉलम.....सेमी में आगामी अंक में बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/राज्य स्तर (50000 तथा 50000 से अधिक समाचार पत्र का सरकोलेशन होने पर)/आखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित करावे,जिसका भूगतान डी.पी.आर. दर से किया जावेगा। बिल की तीन प्रतियाँ के साथ समाचार पत्र की पॉच मूल प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाने का श्रम करें। तदपश्चात् भूगतान किया जाना संभव होगा।

अविशाषी अभियंता III
नगर विकास न्यास,
बीकानेर